तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/15	पत्रा. पेश हो वजरिये . प्रथम प्रार्थनापत्र हुआ जानकि जारी हुआ [illegible] आदेश [illegible] [illegible] जाता है [illegible] से लिखवाया जाकर [illegible] जाना [illegible] पत्रा. पेश पत्रा. [illegible] [illegible] [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 86 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 151
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.05.2025

1. अभयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर। —प्रार्थी

बनाम

1. बनैसिंह पुत्र सियाराम उर्फ श्रीराम जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विरमा देवी पत्नी रामकिशन जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. हरवीर पुत्र सियाराम उर्फ श्रीराम जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मंजूदेवी पत्नी हरवीर जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. ओमवती पत्नी बनैसिंह जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. भजनू पुत्र रामकिशन जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. नरेन्द्र पुत्र बनैसिंह जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. शैलेन्द्र पुत्र बनैसिंह जाति बंजारा निवासी ककरारा मजरा करही तहसील नदबई जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री सुरेश माहुरे एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।

05/05/25

2. यह कि खाता संख्या 271 के आराजी खसरा नंबर 1171 रकबा 0.60, 1172 रकबा 0.30, 1176 रकबा 0.20 किता 3 रकबा 1.10 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 269 के आराजी खसरा नंबर 1174 रकबा 0.29, 1175 रकबा 0.20 किता 2 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई पर स्थित है। जिसका 1/6 हिस्से का प्रार्थी सहखातेदार काबिज काश्तकार है। शेष हिस्से के मुताबिक रिकॉर्ड तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 22 सहखातेदार काबिज है।

3. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम गादौली व ककरारा के मेढे पर स्थित है। विवादित आराजी से लगभग 400 मीटर दूर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने अपने मकानात बना रखे हैं जिसकी बिनाय पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के मन में बदनीयती आ गई है। वे जबरन लठ्ठ के बल पर प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा लेने की फिराक में है। परन्तु अप्रार्थीगण जबरन लठ्ठ के बल पर प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा के प्रयास में है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 लठैत किस्म के व्यक्ति है। दिनांक 11.06.2024 को प्रार्थी अपने हिस्से के 1/6 हिस्से को अपने ट्रेक्टर को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने जोतने बोने से मना करने की धमकी दी गई। अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जावे कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के 1/6 हिस्से में किसी प्रकार की कोई भी मदाखलत मजाहमत नहीं करें, जोतने बोने से न रोकें। आराजी पर जबरन लठ्ठ के बल पर बेदखल न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री सुरेश सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र में जो विवरण दिया गया है वह गलत होने से स्वीकार नहीं है। रिकॉर्ड पर आधारित नहीं होकर मनगढन्त है। वादी ने जो वयनामा कराए थे वह वापिसी वयनामा थे। वयनामा के वक्त कोई खरीद राशि नहीं दी गई थी और न ही मौके पर वादी का कोई कब्जा है। उसी आधार पर वादी सायल व उसके परिवाजनों ने उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर का वयनामा लखनपुर तहसील में लिखा हुआ है उक्त पत्रावली में गलत स्थगन आदेश जारी होने की वजह से वयनामा रूका हुआ है। जो तस्दीक नहीं हुआ है क्योंकि उक्त दावा धारा 188 आरटीए के तहत पेश हुआ है। जिसमें प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश कर राजस्व रिकॉर्ड

व मौके का स्थगन आदेश जारी करा लिया गया था जो काबिल खारिजी के है। उक्त स्थगन कानून के दायरे से बाहर है।

2. यह कि अप्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है कभी किसी के साथ कोई वारदात नहीं की और न ही झगडा किया बल्कि अपने हिस्से की जमीन को जोतने बोने जाते हैं तो सायल वादी ही झगडा करता है। कई बार पंचायत व समझौता हुआ जिसे वादी सायल ने नहीं माना। उक्त विवादित आराजी में वादी व उसके हिस्सेदारों ने कुछ रकबा का वयनामा उक्त नंबरों का ही अप्रार्थीगण के हक में लिखा दिया और उक्त स्थगन आदेश को छिपा रखा था जैसे ही सब रजिस्ट्रार लखनपुर में वयनामा पेश किया तो उक्त पत्रावली में स्थगन होने के कारण वयनामा तस्दीक नहीं हो सका। जबकि दावा धारा 188 आरटीए का है जिसके तहत प्रार्थना पत्र 212 में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश कानून के दायरे में नहीं आता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में जारी स्थगन आदेश काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम गादौली पेश किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम गादौली में प्रार्थी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा आराजी गादौली व ककरारा के मेडे पर स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है और न ही खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी ने रहन रख रखी है। अतः जारीशुदा स्थगन आदेश को ताफैसला कंफर्म किया जावे और अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि दिनांक 14.06.2024 को दावा धारा 188 आरटीए के साथ जो प्रार्थना पत्र 212 पेश किया गया था उसमें राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का जो अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया था वह गलत तरीके से जारी किया गया था। वाद धारा अंतर्गत 188 आरटीए में उक्त स्थगन आदेश लागू नहीं होता है। जिस कारण यह काबिज खारिजी के है। प्रार्थी उक्त स्थगन आदेश की आड में माया बंजारा को खेत नहीं जोतने देते हैं। अतः दिनांक 14.06.2024 को जारीशुदा स्थगन आदेश काबिल खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि–

1. <u>पृथमदृष्ट्या केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या 271 के आराजी खसरा नंबर 1171 रकबा 0.60, 1172 रकबा 0.30, 1176 रकबा 0.20 किता 3 रकबा 1.10 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 269 के आराजी खसरा नंबर 1174 रकबा 0.29, 1175 रकबा 0.20 किता 2 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी अभयसिंह 1/6 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश करते हुए मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रदान किया गया। चूंकि दावा धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है जिसका मुख्य कारण खातेदार की वादग्रस्त कृषि भूमि पर उसके कब्जे में अनुचित हस्तक्षेप के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किए जाने से है। अतः खातेदार की जोत में अनुचित हस्तक्षेप को रोकने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जो प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में पारित किया गया था वह सहवन से जारी किया जाना प्रतीत होता है। और न ही प्रार्थी द्वारा उसके कब्जेकाश्त की आराजी में अप्रार्थीगण के हिस्से में अवैध जबरन कब्जे के संबंध में कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी में अनुचित हस्तक्षेप कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों से वंचित कर रहे हों। उक्त विवादित आराजी में अन्य सहखातेदार भी मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के स्थगन के कारण विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं जबकि किसी रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो उनके खातेदारी अधिकारो पर कुठारघात होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति को देखते हुऐ जारीशुदा स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित नहीं होता है।
2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – चूंकि मामला प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के हक में साबित नहीं होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित नहीं है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षति</u> – अगर उक्त जारीशुदा स्थगन आदेश से अन्य रिकॉर्डेड सहखातेदारों को पाबन्द किया जाता है तो उनके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा जो एक अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी के हक में साबित नहीं होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 14.06.2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

5/5/25

गंगाधर मीणा (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते